न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुप्रिहार गुप्ता .... बनाम .... विद्याधर गुप्ता

60

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

अभिलेख सं०–एम....15..../2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी तमाड़...... के अप्राथमिकी सं०-14/18 दिनांक- 11-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मकान के बंटवारा को लेकर पूर्व से विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 25-5-18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

25-05-18 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर न्यायालय में आवेदन देकर निवेदन किया

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
	गया है कि उभय पक्ष आपस में पंचायत में बैठकर शान्ति पूर्वक ढंग से सुलह कर लिए। भविष्य में हम दोनों किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे। अतः मेरा आवेदन को स्वीकार करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाए। उभय पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष में सुलह हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची) 25/5/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:38:24 +05:30
Location: 192.168.43.107